न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–82/2020

जवाहर साह...वादी

बनाम

मृतक भट्ठमन पासवान के विधिक वारिसान..प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
06.03.2024	आवेदकगणों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज आवेदकगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.10.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** आवेदकगणों का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी जवाहर साह की मृत्यु दिनांक 18.07.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत वादी जवाहर साह अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे आवेदन में वर्णित आवेदकगणों को छोडकर मरे है। अतः वादपत्र से मृतक वादी जवाहर साह का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। आवेदकगणों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी जवाहर साह की मृत्यु हो गई है। आवेदकगणों द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है। अतः न्यायहित में आवेदकगणों का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी जवाहर साह का नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 08.04.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	